

## कावेरी जल विवाद

### प्रलिस के लयः

कावेरी और उसकी सहायक नदी अरकावती, कावेरी जल विवाद न्यायाधकरण, [केंद्रीय जल आयोग \(CWC\)](#)

### मेन्स के लयः

अंतरराज्यीय जल विवाद, अंतरराज्यीय जल विवाद सुलझाने में कूटनीति, जल प्रशासन

## चर्चा में क्यों?

- **कावेरी जल विवाद** एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है, क्योंकि तमलिनाडु ने कर्नाटक द्वारा अपने जलाशय के जल से 24,000 क्यूबिक फीट प्रति सेकंड (क्यूसेक) का प्रवाह सुनिश्चित करने में हस्तक्षेप के लिये [भारत के सर्वोच्च न्यायालय](#) से अपील की है।
- तमलिनाडु ने न्यायालय से कर्नाटक को कावेरी जल विवाद न्यायाधकरण (CWDT) के फरवरी 2007 के अंतिम फैसले के अनुसार सितंबर 2023 के लिये निर्धारित 36.76 TMC (हजार मिलियन क्यूबिक फीट) का प्रवाह सुनिश्चित करने का निर्देश देने का भी आग्रह किया, जिसे 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने संशोधित किया था।
- तमलिनाडु की सर्वोच्च न्यायालय से अपील:
  - यह मुद्दा कर्नाटक द्वारा पहले से व्यक्त सहमति के अनुसार जल की मात्रा छोड़ने से इनकार करने से उत्पन्न हुआ।
  - तमलिनाडु निर्धारित 15 दिनों की अवधि के लिये 10,000 क्यूसेक जल छोड़ने का समर्थन करता है। दूसरी ओर, कर्नाटक ने समान 15 दिनों की समय-सीमा के लिये 8,000 क्यूसेक जल कम करने का सुझाव दिया है।
- **कर्नाटक का स्पष्टीकरण:**
  - कर्नाटक कावेरी जलग्रहण क्षेत्र में कम वर्षा के कारण कम प्रवाह का हवाला देता है, जिसमें उद्गम बंदु कोडागु भी शामिल है।
  - कर्नाटक ने जून से अगस्त तक कोडागु में 44% वर्षा की कमी को बात कही है।
  - कर्नाटक ने तमलिनाडु की संकट-साझाकरण फार्मूले की मांग को खारजि कर दिया।
- **आशय:**
  - तमलिनाडु के किसान कर्नाटक की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मिट्टर जलाशय में केवल 20 TMC जल एकत्रित है, जो दस दिनों तक रहता है।
  - इस जटिल विवाद को सुलझाने में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अहम है।
  - न्यायसंगत जल प्रबंधन और संघर्ष समाधान के लिये सहयोगात्मक समाधान महत्वपूर्ण है।

## कावेरी जल विवाद:

- एक सावधानीपूर्वक तैयार की गई मासिक अनुसूची कावेरी बेसिन के दो तटवर्ती राज्यों कर्नाटक और तमलिनाडु के बीच जल के वितरण को नियंत्रित करती है।
  - कर्नाटक के लिये "सामान्य" जल वर्ष के दौरान जून से मई तक तमलिनाडु को 177.25 हजार मिलियन क्यूबिक फीट जल साझा करना अनिवार्य है।
  - इस वार्षिक कोटा में जून से सितंबर तक मानसून महीनों के दौरान आवंटित 123.14 हजार मिलियन क्यूबिक फीट जल शामिल है।
- मौजूदा दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम में अक्सर जल विवाद उत्पन्न होता है, विशेषकर जब बारिश उम्मीद से कम होती है।

## कावेरी नदी विवाद :

#### ■ कावेरी नदी:

- इसे तमिल में 'पोन्नी' कहा जाता है और यह दक्षिण भारत की एक पवित्‍र नदी है।
- यह दक्षिण-पश्चिमी कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरि पहाड़ी से निकलती है, कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों से होकर दक्षिण-पूर्व की ओर बहते हुए बड़े झरनों के रूप में पूर्वी घाट से उतरकर पुदुचेरी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
- बाएँ तट की सहायक नदियाँ: अरकावती, हेमावती, शमिसा और हरंगी।
- दाहिने किनारे की सहायक नदियाँ: लक्ष्मणतीर्थ, सुवर्णवती, नोयलि, भवानी, काबिनी और अमरावती।



#### ■ वविाद:

- चूँकि कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है, केरल से आने वाली प्रमुख सहायक नदियों के साथ तमिलनाडु से होकर बहती है तथा पुदुचेरी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसलिये इस वविाद में 3 राज्य और एक केंद्रशासित प्रदेश शामिल हैं।
- यह वविाद 150 वर्ष पुरान है, यह वर्ष 1892 और 1924 में तत्कालीन मद्रास प्रेसीडेंसी तथा मैसूर के बीच मध्यस्थता के दो समझौतों से संबंधित है।
- इसमें नहिात है कि किसी भी नरिमाण परियोजना, जैसे कावेरी नदी पर जलाशय का नरिमाण, के लिये कौनसे राज्य को नचिले तटवर्ती राज्य की अनुमति लेना अनविार्य है।
- कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल वविाद 1974 में शुरू हुआ जब कर्नाटक ने तमिलनाडु की सहमति के बिना पानी मोड़ना शुरू कर दिया।
  - कई वर्षों के बाद इस मुद्दे को हल करने के लिये वर्ष 1990 में कावेरी जल वविाद न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। 17 वर्षों के बाद CWDT ने अंततः वर्ष 2007 में एक अंतिम नरिणय जारी किया जिसमें कावेरी जल को चार तटवर्ती राज्यों के बीच वविाजित करने के बारे में बताया गया। इसमें नरिणय लिया गया कि संकट के वर्षों में जल का बँटवारा आनुपातिक आधार पर किया जाएगा।
  - CWDT ने फरवरी 2007 में अपना अंतिम नरिणय जारी किया, जिसमें सामान्य वर्ष में 740 TMC की कुल उपलब्धता पर वविार करते हुए कावेरी बेसिन में चार राज्यों के मध्य जल आवंटन नरिदिष्ट किया गया था।
    - चार राज्यों के मध्य जल का आवंटन इस प्रकार है: तमिलनाडु- 404.25 TMC, कर्नाटक- 284.75 TMC, केरल- 30 TMC, और पुदुचेरी- 7 TMC।
  - वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने कावेरी को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया, साथ ही बड़े पैमाने पर CWDT द्वारा नरिधारित जल-बँटवारे की व्यवस्था को बरकरार रखा।
    - इसने केंद्र को कावेरी प्रबंधन योजना को अधिसूचित करने का भी नरिदेश दिया।
    - केंद्र सरकार ने जून 2018 में 'कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण' और 'कावेरी जल वनियमन समिति' का गठन करते हुए 'कावेरी जल प्रबंधन योजना' को अधिसूचित किया।

### UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

????????????

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन-सा 'संरक्षित क्षेत्र' कावेरी बेसिन में स्थित है?

1. नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान
2. पापकिंडा राष्ट्रीय उद्यान
3. सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र

#### 4. वायनाड वन्यजीव अभयारण्य

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 3 और 4
- (c) केवल 1, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

**??????:**

**प्रश्न.** अंतरराज्यीय जल विवादों को सुलझाने के लिये संवैधानिक तंत्र समस्याओं का समाधान करने में वफिल रहे हैं। क्या यह वफिलता संरचनात्मक या प्रक्रिया अपर्याप्तता के कारण है या इसमें दोनों कारण समाहित हैं? चर्चा कीजिये। (2013)

**स्रोत: द हिंदू**

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/cauvery-water-sharing-dispute>

